संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2550294
Email:-mayank@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमॉक/शा.–1/स्था.–1/न.नि./PEB/2018/3872 भोपाल, दिनॉक 20/02/2018

प्रति,

समस्त संबंधित अभ्यर्थी,
(संलग्न प्रतीक्षा सूची अनुसार)

सहायक वर्ग–3
नगर निगम **(प्रतीक्षा सूची)**

विषय :–पी.ई.बी.से प्रतीक्षा सूची में चयनित **सहायक वर्ग–3 (नगर पालिक निगम)** में रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन व उपस्थिति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा समूह–4 के अंतर्गत नगर पालिक निगम में रिक्त सहायक वर्ग–3 पद पर सीधी भर्ती के लिये पी.ई.बी द्वारा प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का चयन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें आपका चयन प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। नगर पालिक निगमों में पद आवंटन/नियुक्ति पूर्व मूल अभिलेखों का परीक्षण संचालनालय स्तर पर किया जाना है।

2/ अतएव अभ्यर्थी पत्र के साथ संलग्न फार्म की तीन प्रति भरकर मूल अभिलेखों की छाया प्रतियॉ एवं रूपये 100/–(रूपये एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पर चरित्र सत्यापन का शपथ पत्र के साथ पृथक–पृथक (हाल ही के तीन पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ फार्म पर चिपका कर छायाप्रति संलग्न कर (स्वयं द्वारा सत्यापित/सेल्फ अटेस्टेड) करें तथा मूल अभिलेखों से सत्यापन कराने हेतु कार्यालय संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. पालिका भवन, 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल के सभा **कक्ष कमॉक 105 में दिनॉक 28/02/2018 को कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक अनिवार्य** रूप से अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होवे अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरान्त उपस्थित नहीं होने पर किसी प्रकार का दावा/अपत्ति अथवा अनुरोध मान्य नहीं होगा।

3/ यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतीक्षा सूची के अनुकम उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को संचालनालय में उपस्थित होने से पूर्व वे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के स.क. 01 अध्याय 01 सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली के पृष्ठ कमॉक 03–से 14 तक जिसमें अध्याय–1 के बिन्दु कमॉक 10 तथा अध्याय 03 खण्ड–अ के बिन्दु कमॉक–3.2 (i,ii,iii,iv,v,vi) में उल्लेखित निर्देशों का भली–भांति अध्ययन व परीक्षण कर लें, चूंकि इन नियमों के अनुसार यदि अभ्यर्थी सहायक वर्ग–3 के पद के लिये निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं तो वे स्वतः ही अपात्र हो जायेंगे । उपरोक्त स्थिति में सुलभ संदर्भ के लिये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के ई–मेल E-mail: vypam@mp.nic.in, website:www.vyapam.nic.in, www.peb.mp. gov.in, पर इन दिशा–निर्देशों को डाउन लोड कर अध्ययन–मनन करना सुनिश्चित करें। तथा इस संबंध में संचालनालय की विस्तृत जानकारी <u>www.mpurban.gov.in</u> पर हमारे बारे में क्लिक कर आदेश/परिपत्र क्लिक कर देख सकेंगे।

1 मूल अभिलेख के परीक्षण हेतु उपस्थित होने पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अपर आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(मयंक वर्मा)
संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश

–2–

सहायक वर्ग – 3 प्रतीक्षा सूची (नगर निगम)

POST/COURSE: SAHAYAK VARG - 3 (NAGAR NIGAM- DIRECT)

UR/NIL/OPEN

RANK LIST OF WAITING CANDIDATES : DEFAULT GROUP

S.NO.	ROLL. NO.	NAME	FATHER NAME	SEX	CAT	ADD
1	2	3	4	5	6	7
1	21788105	DINESH PANWAR	RAMOTAR PANWAR	M	OBC	0 CHEECH POST CHEECH NASRULLAGANJ 466331
2	21773125	SHASHANK JAIN	SANJAY JAIN	M	UR	NEAR NILKHAND TAMPLE NEAR SANTOSHI MATA MADIYA BALLABH NAGAR WARD SAGAR 470002

SC M

3	21808779	SATENDRA GOYAL	MAHAVEER PRASAD GOYAL	M	SC	NAYA PURA JAMNA ROAD MATA WALI GALI BHIND 477001
4	21788235	SACHIN ARYA	RAJARAM ARYA	M	SC	06 BALAJI VIHAR COLONY NEAR EKTA NAGAR WARD NO 8 BARWANI BARWANI 451551
5	21786149	LOKESH DAVDE	DEVA DAVDE	M	SC	11, RAIDAS MARG MANIHAR MOHALLA PANWADI BARWANI 451551
6	21815458	SANJAY CHOUHAN	KISHOR CHOUHAN	M	SC	2/8 KESAR BAG MAKSI ROAD UJJAIN UJJAIN 456001
7	21773372	CHANDRA KUMAR AHIRWAR	HAMEER AHIRWAR	M	SC	26 RAJIV NAGAR KHURAI MOULANA ABUL KALAM WARD KHURAI KHURAI 470117
8	21751580	DEVKINANDAN ATHYA	GOKAL PRASAD	M	SC	04 VILLAGE-KHERUAA POST OFFICE-HINDORIYA DAMOH 470771
9	21769590	MANOJ	GOVIND PRASAD	M	SC	281/1 FOOTA MANDIR KA PASS JHUNKU WARD DEORI DEORI 470226

OBC M

10	21756337	AKASH YADAV	DASHRATH PRASAD YADAV	M	OBC	74 GADHERI DUMNA KHAMARIA JABALPUR 482005
11	21777581	VISHWANATH SAHU	RAMESH PRASAD SAHU	M	OBC	214 WARD NO.6 AGRAWAL DHARMSHALA KE PASS PATAN 483113

संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म. प्र. भोपाल

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2550294
Email:-mayank@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं ।

1 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में आवेदित पद का नाम– उप–स्वच्छता पर्यवेक्षक (नगर निगम)
(जिसके लिये मेरिट में चयन हुआ है)
2 अभ्यर्थी का नाम...पिता / पति का नाम..
3 लिंग:–पुरूष ☐ महिला ☐ स्थाई / पैतृक निवास का पता ....
....
तहसील........................जिला...........................राज्य................................पिनकोड...............................
4 पत्र व्यवहार का पता...
....
तहसील..............................जिला..राज्य.................................पिनकोड..........................
5 मोबाईल नं.–..ई–मेल आई.डी...
6 पी.ई.पी.प्रवेश परीक्षा का रोल नं. ....पी.ई.बी.परीक्षा के कुल अंक.............................
पी.ई.बी.की प्रतीक्षा सूची के प्राप्तांक..........................प्रतीक्षा सूची के प्राप्तांक का प्रतिशत...........................
7 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (शासकीय / अशासकीय तथा मान्यता प्राप्त संस्थान) के प्रमाण–पत्र

क	परीक्षा उत्तीर्ण बोर्ड / विश्व विद्यालय का नाम	विषय	परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष	कुल अंक	कुल अंक में से प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	10 वीं					
2	12 वीं					
3	स्नातक............................					
4	स्नातकोत्तर............................					
	अन्य शैक्षणिक योग्यता					
5	मध्यप्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र					
6	मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र					
7	मान्यता प्राप्त संस्था से सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण					
8	एल.एस.जी.डी.डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्स					
9	उरोक्त के अलावा अन्य कोई मान्यता प्राप्त संस्था की उपाधि या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र..............					

उपरोक्तानुसार स्वयं द्वारा सत्यापित / हस्ताक्षरित संलग्न प्रमाण–पत्रों की कुल संख्या ....

8 **अर्हताधारी शैक्षणिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होने का** (1) वर्ष ....
(2) वर्ष व तिथि...............................(3) वर्ष व तिथि.................................(4) वर्ष व तिथि..........................

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2550294
Email:-mayank@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

9 आयु प्रमाण–पत्र............................ वर्ष............................माह........................ दिन........................
(आयु की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी 2016 की स्थिति में की जायेगी) तथा 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।
म.प्र.के बाहर के आवेदकों के लिये आयु सीमा 18 वर्ष से कम तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिये)

10 पता का प्रमाण..

11 पैतृक निवास का गृह जिला..प्रदेश / राज्य.............................

12 पहचान प्रमाण–पत्र जैसे– 1 वोटर कार्ड 2 आधार कार्ड 3 वाहन लायसेंस ....

13 जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो) SC / ST / OBC और विशेष जनजाति – बैंगा, भारिया, सहारिया सही का चिन्ह लगाये प्रमाण–पत्र संलग्न करें। ....

14 विकलांगता /भूतपूर्व सैनिक प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो) वैद्यानिक प्रमाण पत्र ....

15 मूल निवास प्रमाण–पत्र ....

16 अभ्यर्थी किसी शासकीय / अशासकीय सेवा में सेवारत है तो नियोक्ता का अनुमति / अनापत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ....

17 विवाहित / अविवाहित है ....बच्चों की संख्या............................

18 यदि महिला विधवा / परित्यक्ता है तो वैधानिक प्रमाण प्रस्तुत करें ....

19 अभ्यर्थी के शरीर पर मुख्य पहचान चिन्ह का उल्लेख करें ....

20 कार्य अनुभव का विवरण ....

21 अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप में स्वयं का चरित्र सत्यापन का चरित्र प्रमाण–पत्र रूपये 100/–(रूपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पर शपथ पत्र पर तैयार कर फार्म के साथ संलग्न किया जाये । ....

22 पी.ई.बी. परीक्षा में बैठने का प्रवेश पत्र संलग्न करें ....

23 अन्य दस्तावेज यदि कोई हो तो ....

24 अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त फार्म के साथ संलग्न कुल अभिलेखों की संख्या..............................

25 अभ्यर्थी उपरोक्त फार्म को तीन प्रतियों में भरकर दो प्रति में संचालनालय में जमा करें और एक प्रति स्वयं अपने उपयोग के लिये रखें। तीनों फार्म पर पासपोर्ट साईज फोटो पृथक–पृथक चिपका कर तीन प्रतियों में स्व–हस्ताक्षरित कर उपरोक्त फार्म को भरकर अभ्यर्थी को उपस्थित होने के लिये निर्धारित दिनॉक पर उपस्थित होकर प्रस्तुत करना है।

घोषणा–पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गए समस्त दस्तावेज एवं जानकारी सही एवं सत्य है। मैं अपने पूर्ण संज्ञान में यह भी कथन करता / करती हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि मेरे द्वारा जानबूझकर त्रुटीपूर्ण जानकारी दी गई हो या किसी तथ्य को छुपाया गया है अथवा गलत ढंग से पेश किया गया हो, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं मैं इस बावत् किसी वाद का अधिकारी नहीं रहूँगा / रहूँगी।

स्थानः– ....**दिनॉक / /2018** **(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर / नाम)**

(उपरोक्त फार्म तीन सेट में भरकर साथ लाये । दस्तावेज फार्म में दिये कम से लगाकर संलग्न करें प्रत्येक संलग्न दस्तावेज पर स्वयं द्वारा सत्यापित कर हस्ताक्षर करें)

चयनित उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप
(सामान्य प्रशासन विभाग क. एफ.सी. 3–15/2012/113 दिनांक 24.11.2012)

निर्धारित शपथ पत्र

अभ्यर्थी स्वयं का फोटो चस्पा करें ।

मैं..आयु.................पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं –
निवासी...पद पर हुआ है ।

1. यह कि मेरा चयन...
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है ।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है ।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है ।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है ।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है ।
7. यह कि मैने भरती प्रकिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं ।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं, तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा ।
9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।

शपथगृहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहिता ....सत्यापित करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र की कंडिका कमांक 1 से लगातार 9 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक............... को ....मेरे द्वारा किया गया है ।

शपथगृहिता

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन न.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

समूह–4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड–03, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटायपिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, आई.टी. ऑपरेटर एवं अन्य पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा–2016

विषय–सूची

स. क्र.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली	03–14
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	15–139
3.	3	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	140–156
4	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	157
5.	प्रारूप–1	प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	158
6.	प्रारूप–2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	159
7.	प्रारूप–3	फोटो, हस्ताक्षर तथा हस्तलिपि का प्रपत्र	160
8.	प्रारूप–4	बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप	161
9.	प्रारूप–5	भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण का प्रारूप	162

10. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :–

(1) अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होंगी, अर्थात् –

समूह – चार

क	अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, साथ ही कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से प्राप्त हिंदी में टायपिंग की दक्षता प्रमाण पत्र हो, आशुलिपिक के लिये अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा परिषद् से अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो और स्टेनोटायपिस्ट के लिये अभ्यर्थी के पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर यथा मान्य अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्रलेखन में 80 शब्द प्रतिमिनट की गति हो।
ख	अनुरेखक, इलेक्ट्रीशियन, सहायक मैकेनिक, कारपेन्टर एवं अन्य 'समकक्ष पदों हेतु अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास आई.टी.आई. सें संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र हो,

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के क्रमांक सी 3–8/2013/1/3,भोपाल दिनांक 01 जुलाई, 2013 के संशोधित पत्र क्रमांक सी 3–15/2014/1/3, भोपाल दिनांक 26 फरवरी, 2015 एवं सी 3–5/2016/1–3 भोपाल, दिनांक 27.07.2016 के अनुसार:–

A. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नांकित संस्थाओं से एकवर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है –

1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
4. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकवर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।
6. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण–पत्र ।

B. विभिन्न विभागों के ऐसे पद, जिनके भरती नियमों में अनिवार्य योग्यता में कम्प्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, बल्कि कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे पदो के लिए (Computer Proficiency Certification Text- CPCT) परीक्षा के माध्यम से अर्ह Score Card धारित करना पर्याप्त होगा। ऐसे पदो के लिए CPCT Score Card के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कम्प्यूटर/आई.टी. से संबंधित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जिन विभागों में पदो के लिए भरती नियम नहीं है या संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भरती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पर भी उक्त व्यवस्था ही लागू होगी।

C. विभिन्न विभागों के डाटा एंट्री ऑपरेटर/आई.टी. ऑपरेटर/सहायक ग्रेड–3/शीघ्रलेखक/स्टेनो टायपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पद, जिनके लिए भरती नियमों में कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है, उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट जिसका उल्लेख पैरा–A में किया गया है, के अलावा CPCT Score Card धारित करना भी अनिवार्य होगा। शेष अर्हताऐं यथावत् रहेंगी।

D. विभागों द्वारा आई.टी दक्षता के परीक्षण के लिए पृथक से परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी, क्योंकि यह स्कोर कार्ड इस बात का प्रमाण होगा कि अभ्यर्थी आई.टी. की वह न्यूनतम दक्षता रखता है जो डाटा एंट्री–सह–कार्यालय सहायक पद के लिए शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक है।

(2) अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा मण्डल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा न कि मण्डल का।

(3) **आयु सीमा** – उन समस्त पदों के लिए जिनके कि लिए मण्डल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु–सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु–सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्गो, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भरती के चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी :

परंतु अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस), आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालक पदों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे विभागों के कार्यपालक पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा उनके भरती नियमों में विहित किए गए अनुसार लागू होगी :

परंतु यह और कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जानी है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार होगी:

परंतु यह भी कि सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए **अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के संशोधन परिपत्र क्रमांक 74, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार कंडिका 10 में उपनियम–03 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया गया है, जो निम्नानुसार है –

(क) विभिन्न विभागों के पदों एवं उनकी योग्यता आदि भिन्न–भिन्न रहती हैं, विषयवार परीक्षा आयोजन करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, व्यावसायिक परीक्षा मंडल संलग्न परिशिष्ट (कंडिका–07 सेवा समूह) में अंकित समूहों में वर्णित उप समूहों के अनुसार परीक्षा आयोजित कर सकेगा, इसे साथ–साथ वर्णित पदों की वांछित योग्यता/अनुभव को विभागों की आवश्यकता को देखते हुए यदि किसी समूह के पद को अन्य समूह में रखते हुए परीक्षा आयोजित करतो है तो वह कार्य भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल कर सकेगा।

(ख) कुछ विभागों के पदों में विभिन्न प्रकार के तकनीकी स्वरूप की दक्षता चाही जाती है जो केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना संभव नहीं होता है उदाहरणस्वरूप स्टेनोग्राफर, स्टेनोटायपिस्ट आदि, ऐसे मामलों में व्यावसायिक परीक्षा मंडल आवश्यकता के अनुरूप यह निर्णय करेगा कि परीक्षा में इस प्रकार की तकनीकी दक्षता का आंकलन करने के लिए अतिरिक्त स्तर की परीक्षा आयोजित की जा सके व उसमें न्यूनतम कट ऑफ

अंक नियत किये जाकर जो पात्रता में अंक प्राप्त होंगे वे अंक प्रथम चरण की परीक्षा में जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

11. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना –

(1) मण्डल एक विज्ञापन जारी करके प्रत्येक समूह या पद के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा, अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाईन या जैसा कि मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगे। आवेदन नियत तारीख तक कार्यालय समय में मण्डल के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचना चाहिए;

(2) नियत अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे तथा मण्डल अभ्यर्थियों को कोई लिखित जानकारी देने का दायी नहीं होगा।

(3) अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग/कार्यालय और पद के लिए भी अपना अधिमान चिंहित कर सकेगा।

(4) अभ्यर्थी पृथंक् रूप से एक से अधिक समूह की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा यदि उसके पास ऊपर वर्णित पद के लिए समुचित अर्हता हो। विभिन्न पदों के लिए उसे पृथक् आवेदन फार्म जमा करना होगा और समूहवार चयन परीक्षा में पृथक्--पृथक उपस्थिति होना होगा।

12. मण्डल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना

(1) मण्डल, परीक्षा के चालू वर्ष के 30 अप्रैल तक अपने परिणाम घोषित कर देगा और गुणागुण के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची तथा नियम 6 में तथा वर्णित समूहों के लिए विभागों के अधिमान भी जारी करेगा।

(2) मण्डल, सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/ महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों को खुली श्रेणी में रखा जाएगा।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित (ओपन) सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी अनारक्षित श्रेणी में गणना की जायेगी और ऐसे उम्मीदवार को उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जावेगा।

(4) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा यदि वह बिना किसी छूट के अनारक्षित अभ्यर्थी के समान अर्ह पाया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी।

(5) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की पृथक--पृथक सूची जारी की जाएगी जिसमें संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के नाम होरिजेन्टल आरक्षण के अनुसार भी सम्मिलित किए जाएंगें।

(6) यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थी जो अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसकी गणना अनारक्षित/बिना वर्ग/ओपन श्रेणी में की जाएगी। इसके बाद प्रवर्गवार सूची में अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, संबंधित

(31) (10)

अध्याय – 3

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड–अ

3.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।

(ii) **आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

(iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

3.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(vi) आवेदक द्वारा छद्‌म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश–पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(ii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। **ई आधार मान्य नहीं है।**

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :–

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

(ख) नेपाल की प्रजा होना चाहीये ।